

नियम 22 : रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना

- (1) जहां उचित अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि धारा 29 के अधीन किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के लिए दायी है, वह ऐसे व्यक्ति को **प्ररूप जीएसटी आरईजी-17** में ऐसे व्यक्ति को सूचना जारी करेगा, ऐसी सूचना की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर कारण बताओं की अपेक्षा करते हुए कि क्यों न उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाए।
- (2) उप-नियम (1) के अधीन जारी कारण बताओं सूचना का प्रत्युत्तर उक्त-नियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरईजी-18** में प्रस्तुत करेगा।
- (3) जहां व्यक्ति जिसने उसके रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए दायी नहीं है या उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के लिए दायी है, उचित अधिकारी, नियम 20 ¹[.....] के अधीन प्रस्तुत आवेदन की तारीख या जैसा की मामला हो, उप-नियम (1) के अधीन जारी कारण बताओं के प्रत्युत्तर ²[या नियम 21क के उपनियम (2क) के अधीन] की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरईजी-19** में आदेश जारी करेगा, रजिस्ट्रीकरण उसके द्वारा अवधारित और कराधेय व्यक्ति को अधिसूचित तारीख से, किसी कर, ब्याज या शास्ति जिसके अन्तर्गत धारा 29 की उप-धारा (5) के अधीन संदेय के लिए दायी रकम भी है के बकाया अदा करने का निदेश करते हुए रद्द करेगा।
- (4) जहां उप-नियम (2) के अधीन प्रस्तुत प्रत्युत्तर ³[या नियम 21क के उपनियम (2क) के अधीन जारी नोटिस के उत्तर में] संतोषप्रद पाया जाता है, उचित अधिकारी कार्यवाहियों को समाप्त करेगा और **प्ररूप जीएसटी आरईजी-20** में एक आदेश पारित करेगा।
⁴**परन्तु** जहां कोई व्यक्ति, धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन के लिए उपनियम (1) के अधीन तामील की गई सूचना का उत्तर देने के बजाय, सभी लंबित विवरणियां देता है और लागू ब्याज और विलंब शुल्क के साथ शोध्द कर का पूरा संदाय कर देता है, वहां उचित अधिकारी, कार्यवाहियों को समाप्त कर देगा और **प्ररूप जीएसटी आरईजी-20** में आदेश पारित करेगा।]
- (5) उप-नियम (3) के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, मृत स्वत्वधारी, यदि आवेदन स्वयं स्वत्वधारी द्वारा प्रस्तुत की गई है, को लागू होंगे।

¹ अधिसूचना क्रमांक 7/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 27.06.2017 द्वारा शब्द "के उप-नियम (1)" विलोपित (प्रभावशील दिनांक 22.06.2017)।

² अधिसूचना क्रमांक 94/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।

³ अधिसूचना क्रमांक 94/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।

⁴ अधिसूचना क्रमांक 39/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 04.09.2018 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 04.09.2018)।